बिहार सरकार
कृषि विभाग।

पत्रांक– कृ0प्र0कृ0सम0कार्या0स्था0–04 / 2018 183 /कृ0, पटना दिनांक 13/9/ 2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

 # अनौपचारिक रूप से परामर्शित # **द्वारा – वित्त विभाग।**

विषयः– **राज्य के सभी जिलों में पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 4221.175 लाख (बेयालिस करोड़ इक्कीस लाख सतरह हजार पाँच सौ) रूपये व्यय की स्वीकृति।**

निदेशानुसार राज्य के सभी जिलों में पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 4221.175 लाख (बेयालिस करोड़ इक्कीस लाख सतरह हजार पाँच सौ) रूपये व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पंचायत स्तर पर कार्यरत कृषि समन्वयक / किसान सलाहकार के लिए कृषि कार्यालय की स्थापना का उद्देश्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का सफल कार्यान्वियन किया जाना है। इससे निम्न लाभ होगा :–

(i) कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीक का त्वरित विस्तार।
(ii) कृषि प्रसार तंत्र का सुदृढ़ीकरण।
(iii) विभाग स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं का सफल कार्यान्वियन।
(iv) किसानों को दरवाजे (पंचायत / ग्राम स्तर) पर योजना का लाभ उपलब्ध कराना।

3 यह योजना राज्य के सभी 38 जिले के सभी पंचयतों में कार्यान्वित की जायेगी। राज्य के कुल 8405 पंचायतों में कृषि विकास कार्यो के सम्पादन हेतु कार्यालय की स्थापना किया जाना है। कार्यालय स्थापना हेतु आवश्यक राशि की सूची अनुलग्नक–1, 2A एवं 2B संलग्न है। यह एक नयी योजना है। इस योजना के कार्यान्वयन की समय सीमा वर्ष 2018–19 है।

4 यह एक राज्य योजना है। योजना स्वीकृति के आलोक में राज्य के प्रत्येक पंचायत में एक कृषि कार्यालय की स्थापना की जाएगी। पंचायत स्तर पर कार्यरत कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार द्वारा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कार्यान्वियन किया जाएगा।

5 राज्य के कुल 8405 पंचायतों में से कुल 895 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन पूर्ण रूप से बन कर तैयार है। कृषि विभागीय कार्यालय की स्थापना हेतु पंचायत सरकार भवन में स्थान प्राप्त किया जाएगा।इसके अतिरिक्त जिस पंचायत मे पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं हुआ है, उस पंचायत में किराये के कमरे लिए जाएगें तथा इसके लिए किराया उपलब्ध कराया जाएगा। अर्थात् शेष 7510 पचायतों में कार्यालय स्थापना के लिए प्रति पंचायत अधिकतम 1000 (एक हजार रूपये) प्रतिमाह की दर से अधिकतम कुल 901.20 लाख (नौ करोड़ एक लाख बीस हजार मात्र) रूपये किराये के रूप में व्यय होने की संभावना है।

6 कार्यालय स्थापना के लिए फर्नीचर आदि पर प्रति पंचायत 01 टेबल के लिए अधिकतम 5000/– (पाँच हजार) रूपये, 01 आलमीरा के लिए अधिकतम 18000/– (अठारह हजार) रूपये, 05 प्लास्टिक कुर्सी के लिए अधिकतम 3000/– (तीन हजार) रूपये, 01 कार्यालय साईन बोर्ड (4'X3') के लिए अधिकतम 1500/– (एक हजार पाँच सौ) रूपये, कुल 27500/– (सताईस हजार पॉच सौ) रूपये की दर से 8405 पंचायतों के लिए कुल 2311.375 लाख (तेईस करोड़ ग्यारह लाख सैंतीस हजार पॉच सौ) रूपये व्यय होगा। साथ ही आकस्मिकता निधि में प्रति माह 1000/– (एक

हजार) रूपये की दर से 8405 पंचायतों के लिए अधिकतम कुल 1008.60 लाख (दस करोड़ आठ लाख साठ हजार) रूपये व्यय होने की संभावना है।

7 कार्यालय स्थापना हेतु 895 पंचायतों में, जहाँ पंचायत सरकार भवन निर्मित है, में 39500/– (उनचालीस हजार पाँच सौ) रूपये प्रति पंचायत तथा शेष 7510 पंचायतों में प्रति पंचायत 51,500 (ईकावन हजार पाँच सौ) रूपये की दर से कुल 8405 पंचायतों के लिए कुल राशि 4221.175 लाख (बयालीस करोड़ इक्कीस लाख सतरह हजार पाँच सौ) रूपये मात्र व्यय होने की संभावना है। कोटिवार स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–1, 2A एवं 2B के अनुरूप संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से आवश्यकतानुसार की जायेगी। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8 वितीय वर्ष 2018–19 की बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 109– विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग संख्या 01 उपशीर्ष 0106–इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड 01-2401001090106, विषय शीर्ष–0106.13.01 कार्यालय व्यय	2490.00	1585.134
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या 01, उपशीर्ष 0106–इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड 01-2401007890106, विषय शीर्ष–0106.13.01 कार्यालय व्यय	480.00	305.568
मुख्य शीर्ष 2401– फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या 01, उपशीर्ष 0134–इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड 01-2401007960134, विषय शीर्ष 0134.13.01 कार्यालय व्यय	30.00	19.098
कुल	3000.00	1909.80
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 109– विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग संख्या 01, उपशीर्ष 0106–इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड 01-2401001090106, विषय शीर्ष–0106.21.01 सामग्री और पूर्तियाँ।	2095.75	1918.44125
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या 01, उपशीर्ष 0106–इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड 01-2401007890106 विषय शीर्ष– 0106.21.01 सामग्री और पूर्तियाँ।	404.00	369.82
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या 01, उपशीर्ष 0134–इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड 01-2401007960134 विषय शीर्ष –0134.21.01 सामग्री और पूर्तियाँ।	25.25	23.11375
कुल	2525.00	2311.375
सकल योग	5525.00	4221.175

(09) वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक 24.08.2018 की बैठक में संचिका संख्या– कृ0प्र0कृ0सम0कार्या0स्था0–04/2018 के पृ0सं0– 46/टि0 पर प्राप्त है। योजना कार्यान्वयन में मंत्री, कृषि का दिनांक– 25.07.2018 को स्वीकृति संचिका संख्या– कृ0प्र0कृ0सम0कार्या0स्था0–04/2018 के पृ0सं0–36/टि0 पर प्राप्त है।

(10) वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(11) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–कृ0प्र0कृ0सम0कार्या0स्था0–04/2018 के पृ0सं0–49/टि. पर दिनांक– 04.09.2018 को प्राप्त है, जिसका डायरी सं0–169 दिनांक– 04.09.2018 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
Rabindra 12.9.18
(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – कृ0प्र0कि0सला0यो0–01/2015 183 /कृ0, पटना, दिनांक 13/9/ ,2018

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 12.9.18
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – कृ0प्र0कि0सला0यो0–01/2015 183 /कृ0, पटना, दिनांक 13/9/ ,2018

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 12.9.18
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – कृ0प्र0कि0सला0यो0–01/2015 183 /कृ0, पटना, दिनांक 13/9/ ,2018

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 12.9.18
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – कृ0प्र0कि0सला0यो0–01/2015 183 /कृ0, पटना, दिनांक 13/9/ ,2018

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 12.9.18
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – कृ0प्र0कि0सला0यो0–01/2015 /कृ0, पटना, दिनांक ,2018

प्रतिलिपि– कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग, बिहार, पटना/ अपर निदेशक(शष्य), बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक(शष्य)/ संबंधित उप निदेशक(शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी उप निदेशक(शष्य), प्रक्षेत्र/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2– उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक के साथ विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों तथा कोषागार पदाधिकारियों को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

Rabindra 12.9.18
विशेष सचिव,